

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 622]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 नवम्बर 2017—कार्तिक 30, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2017

क्र. डी-15-69-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 145-13-चौदह-1, दिनांक 9 जून 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति, खरगोन, जिला खरगोन के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम पंचायत, बलवाड़ी (प्रेमनगर) तहसील खरगोन, जिला खरगोन के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 14.000 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	243/3 में से	10.112
2	244/2 में से	03.888
		योग . . 14.000

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—आम रास्ता व खसरा नं. 243/1 की शासकीय भूमि.

दक्षिण में—खसरा नं. 245/1 व ख. नं. 245/2 की निजी भूमि एवं 243/1 व ख. नं. 244/1 की शासकीय भूमि.

पूर्व में—आम रास्ता व खसरा नं. 243/1 की भूमि.

पश्चिम में—खसरा नं. 243/1 की शासकीय भूमि

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2017

क्र. डी-15-69-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 21st November 2017

No. D-15-69-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Khargon District Khargon has been established by this department's Notification No. 145/13 dated 9th June 1953 shall be the additional market yard namely :—

PLACE

An area of 14.000 hectore's land of bellow mentioned Khasra number at Gram Balwadi (Premnagar) at Khargon Tehsil of District Khargon:—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Hector's) (3)
1	Into 243/3	10.112
2	Into 244/2	03.888
Total . .		14.000

BOUNDED BY

**On the North by**—Public road & Govt. Land of Khasra No. 243/1.

**On the South by**—Private Land of Khasra No. 245/1, 245/2 & Govt. Land of Khasra No. 243/1, 244/1.

**On the East by**—Govt. Land of Khasra No. 243/1.

**On the West by**—Govt. Land of Khasra No. 243/1.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2017

क्र. डी-15-69-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 नवम्बर 2017 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के सम्बन्ध में मंडी क्षेत्र, खरगोन, जिला खरगोन के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत, बलवाड़ी, तहसील खरगोन, जिला खरगोन की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—
  - (1) सोनीपुरा, (2) नवाबपुरा, (3) खेड़ी खानपुरा, (4) बिजलगांव, (5) गोपालपुरा, (6) खरगोन, (7) बिड़,
  - (8) छोटी बीड़, (9) मांगरूल बुजुर्ग, (10) मांगरूल खुर्द.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2017

क्र. डी-15-69-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 21st November 2017

No. D-15-69-2017-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard declare *vide* this department's notification even number, dated 21<sup>st</sup> November 2017 the following area of Khargon of District Khargon shall be market yard namely :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Balwadi in Tehsil Khargon of District Khargon.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard namely :—
  - (1) Sonipura, (2) Navabpura, (3) Khedi Khanpura, (4) Bijalgawon, (5) Gopalpura, (6) Khargon, (7) Bid, (8) Chhoti Bid, (9) Mangrul Bujurg, (10) Mangrul Khurd.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. S. DHURVE, Dy. Secy.